राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 10/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0

.....वादी

बनाम

1. प्रभाती पत्नी स्व. दुर्गाराम
2. कालुराम पुत्र दुर्गाराम
3. गोकलचन्द पुत्र दुर्गाराम
4. बोदुराम पुत्र दुर्गाराम – मृतक
5. चुकी देवी पत्नी स्व. धन्सी
6. बजरंग पुत्र धनसी
7. भीवाराम पुत्र धनसी
8. सुरेश पुत्र धनसी
9. मुकेश पुत्र धनसी
10. बुगली पुत्र धनसी
11. ममता पुत्री धनसी
12. माया पुत्री धनसी
13. पिका पुत्री धनसी
14. रामेश्वर पुत्र श्योनारायण – मृतक

14/1 मान पुत्री राजु देवी

15. मक्खनलाल पुत्र श्योनारायण – मृतक
16. मालाराम पुत्र श्योनारायण
17. हजारी पुत्र श्योनारायण
18. बनवारी पुत्र श्योनारायण – मृतक
19. ननचू पुत्र श्योनारायण
20. बिदामी पत्नी श्योनारायण
21. राजू पुत्री रामेश्वर निवासी नौरंगपुरा
22. प्रबन्धक राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय **दिनांक 26–08–2020**

यह वाद अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (4) के अन्तर्गत इसे वाद पत्र माना गया और तद्नुसार कार्यवाही की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने निवेदन किया कि ग्राम नौरंगपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 742/561 रकबा 4.01 है. भूमि की खातेदारी प्रभाती पत्नी स्व. दुर्गाराम हि. 21/280, कालुराम पुत्र दुर्गाराम गोकलचन्द पुत्र दुर्गाराम हि. 1/7, कमली सरोज पुत्री दुर्गाराम हिस्सा 1/140, चुकी देवी पत्नी स्व. धनसी राहित राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक सेफरागुवार 225/504, बजरंग पुत्र धनसी भीवाराम पुत्र धनसी, सुरेश पुत्र धनसी, मुकेश पुत्र धनसी, बुगली पुत्री धनसी, ममता पुत्री धनसी, माया पुत्री धनसी, पिका पुत्री धनसी हिस्सा 8/63, रामेश्वर पुत्र श्योनारायण, मक्खनलाल पुत्र श्योनारायण, मालाराम पुत्र श्योनारायण, हजारी पुत्र श्योनारायण, बनवारी पुत्र श्योनारायण हिस्सा 2/7 के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का नौरंगपुरा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 742/561

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

रकबा 4.01 है. में से 3.00 है. भूमि में खातेदारान द्वारा बिना किसी स्वीकृति के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है। चूंकि राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। अतः अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जाये।

खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्यक् रूप से तामील करवाई गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 व 5 लगा. 13 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 व 5 लगा. 13 की खातेदारी की भूमि से कोई बजरी खनन नहीं किया जा रहा है। मालाराम, हजारी, बनवारी ने चुकी देवी प्रतिवादी को अपनी सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी है जिसका नामांतकरण भी उसके नाम हो चुका है उक्त मालाराम, हजारी, बनवारी को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि को तारबन्दी व बाड़ लगाकर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है अन्य किसी उपयोग में नहीं है। इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 23 तथा पटवारी हल्का नौरंगपुरा की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2015 पेश की जिसके अनुसार ग्राम नौरंगपुरा स्थित भूमि ख.नं. 742/561 रकबा 4.01 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से 3.00 है. पर मौके पर खनन किया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पटवारी हल्का से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम नौरंगपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 742/561 पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व गहरे खड्डे बने हुये हैं। उक्त खसरा नंबर 742/561 को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पटवारी हल्का नौरंगपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2015 व दिनांक 4.03.2020 की रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। खातेदारान द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। बारानी चतुर्थ दर्ज भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। विवादित भूमि ख.नं. 742/561 रकबा 4.01 है. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी (तहसीलदार, खेतड़ी) स्वीकार किया जाकर ग्राम नौरंगपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 742/561 रकबा 4.01 हैक्टेयर भूमि को राजगामी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नंबर से खातेदारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें बेदखल करें व उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय दर्ज करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner